न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-217 / 2017 दायर दिनांकः 29.12.2017

GCMS NO:- 2017/00377

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मोत्या पुत्री बख्तावरा जाति मीना निवासी गावडी हाल पत्नी प्रभूलाल निवासी डेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

—वादिनी

बनाम

1. मोती पुत्र बख्तावरा जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. फूलचन्द पुत्र बख्तावरा जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. दयाला पुत्र बख्तावरा जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. भैरू पुत्र बख्तावरा जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
5. राजाबाई पुत्री बख्तावरा जाति मीना हाल पत्नी स्व. भंवरलाल निवासी लुहारपुरा पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
6. जगदीशी पुत्री बख्तावरा जाति मीना हाल पत्नी रामस्वरूप निवासी कल्याणपुरा पंचायत पायगा तहसील अलीगढ जिला टोंक।
7. कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
8. कैलाशी पत्नी जगन्नाथ जाति मीना C/Oकन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
9. कौशल्या पुत्री जगन्नाथ जाति मीना हाल पत्नी कैलाश निवासी खान की झौपडिया पंचायत दुगारी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
10. बजरंगा पुत्र रामा जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
11. मिश्री बाई पुत्री रामा जाति मीना हाल पत्नी सुवालाल निवासी सबलपुरातहसील नैंनवां जिला बून्दी।
12. जगदीशी पत्नी गौरीलाल जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
13. रेवन्ता पुत्री गोरीलाल नाबालिग जर्ये माता जगदीशीजाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
14. फोरन्ता पुत्री गोरीलाल नाबालिग जर्ये माता जगदीशी जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
15. केसन्ता पुत्री गोरीलाल नाबालिग जर्ये माता जगदीशी जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
16. मनिषा पुत्री गोरीलाल नाबालिग जर्ये माता जगदीशी जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
17. बदरीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति मीना निवासी गांवडी पंचायत कोलाहेडा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
18. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 ... एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.06.01 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

उपस्थितिः—
1. वादी के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा ।

निर्णय दिनांक 05.04.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गांवडी पटवार हल्का रेठोदा तहसील नैंनवां के जमाबंदी सं. 113 की खसरा सं. 270 रकबा 04—18 बीघा, खसरा सं. 271 रकबा 00—02 बीघा, खसरा सं. 272 रकबा 03—06 बीघा, खसरा सं. 273 रकबा 00—15 बीघा, खसरा सं. 284 रकबा 11—18 बीघा, खसरा सं. 285 रकबा 10—05 बीघा,खसरा सं. 371 रकबा 08—07 बीघा,खसरा सं. 372/613 रकबा 10—00 बीघा,खसरा सं. 379 रकबा 08—07 बीघा,खसरा सं. 111 रकबा 05—03 बीघा,खसरा सं. 269 रकबा 102—10 बीघाकुल किता 11 रकबा 58—18 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम गांवडी पटवार हल्का रेठोदा तहसील नैंनवां के जमाबंदी सं. 112 की खसरा सं. 107 रकबा 11—15 बीघा भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि मृतक बख्तावरा के खातेदारी में थी बख्तावरा का देहावसान हो गया है बख्तावरा के प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 लडके व वादिनी तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 पुत्रियां है व प्रतिवादी सं. 7 लगायत 9 बख्तावरा के मृतक पुत्र जगन्नाथ के वारिसान है। बख्तावरा के पुत्र दयाला खातेदार ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 107 में से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 17 बदरीलाल को बैचान कर दिया इसलिए इस खसरा संख्या में उसका नाम विलोपित हो गया है। यह कि वादिनी मृतक बख्तावरा की लडकी होने से उसका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए था जो कि सहवन से दर्ज नहीं किया गया है। यह वाद का कारण है। अतः वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह मृतक बख्तावरा की पुत्री होने से वाद पत्र में वर्णित भूमि का अपने हिस्से अनुसार स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवायें व अपना नाम बतोर खातेदार हिस्सेदार कृषक के रूप में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करवायें व भमि का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करवाये। वादिनी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल परिशिष्ट—1, नकल जमाबंदी नकल परिशिष्ट—2, सजरा परिशिष्ट—3,शपथ—पत्र,बयान आदि पेश किये।

वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 तथा 10 का इकबाली दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के अनुसार वादी का वाद पत्र विधि संवत रूप से स्वीकार फरमा दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वाद—पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादिनी अपने पिता बख्तावरा मीना की इकलौती सन्तान नहीं है। वादिनी के अतिरिक्त बख्तावरा मीना के पुत्र सन्तानें मौजूद है। अतः यह तथ्य कि वादिनी मृतक बख्तावरा की लडकी होने से उसका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए था जो कि सहवन से दर्ज नहीं किया गया है, न्यायोचित प्रतीत नही होता है क्योंकि मीना जाति में पुत्र की मौजूदगी में पुत्री का पिता की सम्पत्ति में कानूनन अधिकार नही होता है। यदि सहवन से नाम दर्ज नही हुआ है तो वादिनी इस हेतु नामान्तकरण की अपील कर सकती है। अतः वादिनी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ
उपखण्ड अधिकारी
नैंनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ, जिला बून्दी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.06.01 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner